"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई 2017 — आषाढ़ 29, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2017

आदेश

क्रमांक 3272/2805/2017/रास/यू. 3. — छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा डॉ. जी.डी. शर्मा, कुलपति, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है.

2. डॉ. शर्मा की उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी.

3. डॉ. शर्मा का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु अथवा पाँच वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, तक रहेगा.

हस्ता./-
(ए. के. अग्रवाल)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.